प्रश्न सं. [क्र. 892]

परिशिष्ट– अ

विधानसभा प्रश्न कमांक 892 तांरकित

त्रिकटू चूर्ण				
क्रं.	संस्था का नाम	पैकिंग की मात्रा	दर प्रति नग (रूपये)	राशि टैक्स सहित
1	मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल	500 ग्राम	493	78651741
2	मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल	50 ग्राम	50	210000000
योग				288651741

क्रं.	संस्था का नाम	पैकिंग की मात्रा	दर प्रति नग (रूपये)	राशि (रूपयें)
1	मेसर्स कर्नाटका एंटीबायोटिक एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बैगलोर	500 ग्राम	366.45	13644033

1	फार्मेसी द्वारा निर्मित त्रिकटु चूर्ण	–	–	4152534
कुल राशि 30,64,48,308/– GST सहित (तीस करोड चौसठ लाख अडतालिस हजार तीन सौ आठ रूपयें मात्र)				

15/12/2020

सहायक संचालक
संचालनालय आयुष
म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट– ब

विधानसभा प्रश्न कमांक 892 अतांरकित

आरोग्य कषायम –20 की जानकारी				
कं.	संस्था का नाम	पैकिंग की मात्रा	दर प्रति नग (रूपये)	राशि टैक्स सहित (रूपयें)
1	मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल	500 ग्रम	358	3266592

1	फार्मेसीयों द्वारा निर्मित आरोग्य कषायम– 20	–	–	1509300

15/12/2020

सहायक संचालक
संचालनालय आयुष
म0प्र0भोपाल

प्र.क्र.(3) ॥ख॥ ग॥ परिशिष्ट – स

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 892 तारांकित

संबंधित संस्थाओं को जारी आदेशों में निम्नलिखित शर्ते अंकित की गई थी: –

1– आदेशित औषधियों की संख्या विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

2– प्रदाय की जाने वाली औषधियों के संबंध में ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 तथा उसकी नियमावली 1945 के नियम 161 के प्रावधानों का पालन किया जाना होगा। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आदेशित औषधियां का स्वयं के द्वारा निर्मित होना बाध्यकारी है, लोन लाईसेन्स अथवा अन्य किसी फर्म द्वारा निर्मित औषधि स्वीकार्य नही होगी।

3– औषधि के प्रत्येक पैकिंग पर ''म.प्र. शासन के लिए'' एवं ''विक्रय हेतु नहीं'' अंकित होना चाहिए तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के प्रत्येक बैच की परीक्षण रिर्पोट संचालनालय एवं संबंधित कार्यालय में सामग्री प्रदाय करने से पूर्व भेजी जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में औषधियां ग्रहण नहीं की जावेंगी।

4– आपके द्वारा गुणवत्ता युक्त औषधियों का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी स्तर पर यह प्रमाणित होता है कि इकाई की औषधियां मानक स्तर से निम्न स्तर की हैं तो पूर्ण आदेश निरस्त माना जावेगा शासकीय नियमों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। औषधियों के निर्माण तथा प्रदाय मे ड्रग एंण्ड कास्मेटिक एक्ट तथा इसके तहत बनाये गये समस्त नियमों/निर्देशों का पालन किया जावे।

5– औषधियां संबंधित कार्यालय में पहुंचाकर प्रदान करना होगा। बिल्टी, स्टेशन या ट्रांसपोर्ट कंपनी से छुड़ाने हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी।

6– औषधियां संबंधित कार्यालय में गठित माल दाखिला समिति की अनुशंसा के अनुसार कार्यालयों द्वारा ग्रहण किए जाने पर एवं म0प्र0वित्त संहिता भाग–1 के नियम 121 के अनुरूप प्रमाणित किये जाने के पश्चात ही ग्रहण की हुई मानी जायेगी।

7– औषधियों के विक्रय मूल्य पर जी.एस.टी., शासन नियमानुसार देय होगा।

8– देयक पर संबंधित कार्यालय के पदनाम का उल्लेख करते हुए, देयक आयुक्त आयुष म.प्र. भोपाल के नाम तैयार कर संबंधित कार्यालयों में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, जिनका भुगतान संचालनालय द्वारा किया जायेगा।

9– यदि आपके द्वारा देयक प्रेषित न किये जाने के कारण भुगतान नहीं होता है तो इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। भुगतान के विलंब हेतु किसी प्रकार का ब्याज आदि देय नहीं होगा।

10– आदेशित औषधियों के निर्माण अवधि में कभी भी विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

11– उक्त आदेशित औषधियां प्रदाय अवधि मे अनिवार्य रूप से संबंधित कार्यालय मे प्रदाय करेंगे।

12– जारी आदेश में उल्लेखित औषधियों में से अगर किसी औषधि के संबंध में जाँच/ शिकायत प्रचलित हो तो औषधि प्रदाय पूर्व इस संबंध में समस्त जानकारी क्रयकर्ता को उपलब्ध कराई जावे, तत्संबंध में विभाग द्वारा उचित निर्णय लिया जावेगा।

13– क्रय आदेश मे अंकित सभी शर्तो का अनुपालन एवं अभिलेखो की प्रमाणिकता के लिए निर्माता फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

14– किसी भी विवाद की दशा में विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा ।

15– संचालनालय आयुष को प्रत्येक दिवस मे निर्मित किये गये काढे के पैकेटों की संख्या जानकारी अनिवार्य रूप से क्रय शाखा की ई–मेल आई.डी purchaseayush.mp@mp .gov.in पर उपलब्ध करावें।

15/12/2020
सहायक संचालक
संचालनालय आयुष
म0प्र0भोपाल